उच्च न्यायालय, पटना के क्षेत्राधिकार में

2017 की सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या 1999

==========

1. राम चन्द्र साह, पुत्र- पति साह
2. अशोक साह, पुत्र- पति साह
3. सुरेंद्र साह, पुत्र- पति साह
4. श्रीमती नीलम देवी, पत्नी- राम चन्द्र साह, सभी निवासी- ग्राम- धरहरा खुर्द, पोस्ट - धरहरा कला, थाना- अमनौर, जिला- सारण।

... ...याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. अखिलेश प्रसाद यादव, पुत्र- श्री अम्बिका प्रसाद यादव
2. देवेन्द्र प्रसाद साह, पुत्र- स्वर्गीय बिसुनदेव साह
3. श्रीमती पुष्पा देवी, पत्नी- श्री छटीलाल शर्मा, निवासी- ग्राम- धरहरा खुर्द, पोस्ट- धरहरा कला, थाना- अमनौर, जिला- सारण।
4. नौलख राय, पुत्र- स्वर्गीय रामदेव राय निवासी- ग्राम व पोस्ट- धरहरा काला, थाना- अमनौर, जिला- सारण।
5. बास मोहम्मद, पुत्र- तेल मोहम्मद निवासी- ग्राम- पचपटिया, देवरिया, पोस्ट और थाना- अवतार नगर, जिला- सारण।
6. सबनाज़ बीबी उर्फ सहनाज बीबी, पत्नी- स्वर्गीय मोहम्मद हनीफ निवासी- ग्राम- धरहरा खुर्द, पोस्ट- धरहरा कलाम, थाना- अमनौर, जिला- सारण।

... ...उत्तरदाताओं

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री कृष्ण रंजन, अधिवक्ता

श्री अमित भूषण, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए: श्री बृजकिशोर मिश्र, अधिवक्ता

श्री सचिदा नंद राय, अधिवक्ता

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

भारतीय संविधान--अनुच्छेद 227*---सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908---धारा 151, 152, 153; आदेश XLI नियम 31, 35---डिक्री में संशोधन---विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की याचिका जिसमें कब्जे की वसूली के संबंध में डिक्री पारित करने की याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना को खारिज कर दिया गया था---इससे पहले, वादी/याचिकाकर्ताओं के शीर्षक वाद को उनके पक्ष में डिक्री किया गया था और विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विद्वान ट्रायल कोर्ट के निर्णय और डिक्री की पुष्टि की थी--- कब्जे या बेदखली के संबंध में कोई मुद्दा या बिन्दु तैयार नहीं किया गया था और कब्जे की पुष्टि के संबंध में कोई राहत शुरू में नहीं मांगी गई थी, हालांकि कब्जे की वसूली के संबंध में बाद में राहत अपीलीय स्तर पर संशोधन आवेदन के माध्यम से जोड़ी गई, जिसे खारिज कर दिया गया - दलील यह है कि विद्वान प्रथम अपीलीय अदालत ने यह मानने में गलती की कि बेदखली के संबंध में कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं आया है क्योंकि वादी की बेदखली के संबंध में शिकायत पहले ही संशोधित की जा चुकी थी।*

निर्णय: जब अपीलीय चरण में न्यायालय के संज्ञान में अनुवर्ती अनुतोष लाया गया था, तो वादी के बेदखली के बारे में उक्त तथ्य विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा ध्यान में लिया जाना चाहिए था तथा उसे इस मुद्दे पर निर्धारण के लिए बिन्दु तैयार करना चाहिए था --- चूंकि बेदखली के बिन्दु पर वादपत्र में संशोधन पहले ही किया जा चुका है तथा अपीलीय चरण में वादपत्र में आगे अनुतोष मांगा गया था, तब विद्वान अपीलीय न्यायालय या तो इस बिन्दु पर मुद्दा तैयार कर सकता था तथा साक्ष्य पर विचार कर सकता था या बेदखली के बिन्दु पर मुद्दा तैयार करने के पश्चात मामले को विद्वान निचली अदालत को वापस भेज सकता था --- जब अनुतोष के लिए प्रार्थना की गई है तथा विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय उक्त अनुतोष के संबंध में अपना निष्कर्ष दर्ज करने में विफल रहा है, तो ऐसी त्रुटि को संहिता की धारा 152 के अन्तर्गत तथा यहां तक कि संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत भी सुधारा जा सकता है --- विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के हाथ बंधे नहीं हैं तथा वह किसी भी असावधानी से उत्पन्न ऐसे सभी मामलों पर विचार कर सकता है। विवादित आदेश अपास्त किया गया। (पैरा 7, 8, 9)

2003(1) एससीसी 197 .....पर भरोसा किया गया।

(2004) 1 एससीसी 328, (सी.आर.पी. (पीडी) संख्या 1001/2015, (1999) 3 एससीसी 500 .....से असहमत।

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

सीएवी निर्णय

दिनांक: 16-05-2024

वर्तमान सिविल विविध याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर की गई है, जिसमें विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सारण, छपरा द्वारा शीर्षक अपील संख्या 55/2013/136/2014 में पारित दिनांक 7 जुलाई, 2017 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सारण, छपरा ने वादी/प्रतिवादी/याचिकाकर्ताओं की ओर से सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे आगे 'संहिता' कहा जाएगा) की धारा 151, 152 और 153 के तहत दायर दिनांक 05.07.2017 की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कब्जे की वसूली के संबंध में एक डिक्री पारित करने की प्रार्थना की गई थी।

02. अभिलेख से प्रकट तथ्य यह है कि वादी/याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों/प्रतिवादियों के विरुद्ध शीर्षक वाद संख्या 395/2008 दायर किया था, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई थी कि वादीगण के पास वाद की अनुसूची-क में उल्लिखित दावे वाली भूमि का स्वामित्व था और यह भी घोषित करने की मांग की गई थी कि अनुसूची-ख की भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पक्ष में दिनांक 9 जून, 2008 को निष्पादित किया गया विक्रयपत्र अवैध, बिना प्रतिफल के, निष्क्रिय था और उक्त भूमि पर कोई स्वामित्व न रखने वाले व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया गया था। यह भी प्रकट होता है कि विवादित भूमि मूल रूप से बिंदा राय नामक व्यक्ति की थी, जिसकी शकुंती नामक एक पुत्री थी, जो अशक्त थी और अपने पिता के साथ रहते हुए अविवाहित अवस्था में ही मर गई थी। बिंदा राय की मृत्यु के पश्चात, उनके भतीजे मोहरम राय को दावे वाली भूमि का अधिकार प्राप्त हुआ। मोहरम राय के दो बेटे थे, हनीफ मियां और वकील मियां, जो अपने पिता द्वारा छोड़ी गई जमीन पर काबिज हुए। बाद के बंटवारे में, वाद की अनुसूची-का में उल्लिखित भूमि हनीफ मियां के हिस्से में आवंटित की गई, जिनकी मृत्यु हो गई और वे अपने पीछे अपने बेटे मोहम्मद हसनैन और विधवा शहनाज बीबी को छोड़ गए, जिन्होंने अनुसूची-का की जमीन पर कब्जा कर लिया। वादीगण हनीफ मियां के उत्तराधिकारियों से दिनांक 03.05.2008 और 14.05.2008 को विभिन्न पंजीकृत बिक्री-पत्रों के माध्यम से खरीददार

हैं और वाद की जमीन पर काबिज हुए। इसके बाद, वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के दावे के बारे में पता चला, जो प्रतिवादी संख्या 5 से दिनांक 09.06.2008 को बिक्री-पत्र द्वारा खरीद के आधार पर वाद की भूमि के संबंध में था।

वादीगण के दावे का प्रतिवादियों ने विरोध किया, जिन्होंने अपने बचाव में अपनी स्वयं की कहानी प्रस्तुत की। प्रतिवादियों ने दावा किया कि बिंदा राय की पुत्री अमान्य नहीं थी और वह बिंदा राय से पहले नहीं मरी थी। शकुंती का विवाह ओली मोहम्मद नामक व्यक्ति के साथ हुआ था और उसकी मृत्यु वर्ष 1996 में हो गई। मुकदमे की संपत्ति कभी कब्जे में नहीं आई और मोहरम राय तथा सभी दस्तावेज मोहरम राय द्वारा तैयार किए गए दिखावटी दस्तावेज हैं। इस कारण से, कोई भी भूमि हनीफ मियां के कब्जे में नहीं आई और भूमि शकुंती तथा उसके पति के कब्जे में ही रही। शकुंती के चार पुत्र थे, जिनके नाम बास मोहम्मद, दाह मोहम्मद, लाल मोहम्मद तथा सोबराती थे। बास मोहम्मद ने अपने कब्जे वाली भूमि का हिस्सा, जो 09.06.2008 को पंजीकृत विक्रय-पत्र के माध्यम से प्रतिवादियों के पक्ष में 2 ½ लाख रुपये की प्रतिफल राशि पर हस्तांतरित कर दिया।

विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के साक्ष्य पर विचार करते हुए वाद का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया। विद्वान विचारण न्यायालय के दिनांक 15.03.2013 के निर्णय एवं डिक्री से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर प्रतिवादियों ने टाइटल अपील संख्या 136/2014 दायर की तथा अपील के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने वादीगण को अनुसूची-(ग) में वर्णित भूमि से दिनांक 22.01.2014 को बलपूर्वक बेदखल कर दिया। वादीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय में वाद में संशोधन हेतु संशोधन याचिका दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया तथा वाद में नई राहत जोड़ी गई तथा जिस भूमि से प्रतिवादियों ने वादीगण को बेदखल किया था उसका विवरण दिनांक 11.04.2014 के आदेश द्वारा अनुसूची-(ग) में जोड़ दिया गया। तत्पश्चात विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पक्षकारों की सुनवाई की तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का

अवलोकन करने के पश्चात दिनांक 07.06.2017 के निर्णय एवं डिक्री द्वारा अपील को खारिज कर दिया। यद्यपि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय में अनुसूची-(ग) में वर्णित भूमि से वादीगण को बेदखल करने का उल्लेख किया था, किन्तु वह इस संबंध में कोई राहत देने में विफल रहा तथा प्रतिवादियों को अनुसूची-(ग) में भूमि के संबंध में कब्जा सौंपने के निर्देश देने में भी विफल रहा, यद्यपि वादीगण के अधिकार, स्वामित्व एवं कब्जे के संबंध में दोनों न्यायालयों का समवर्ती निष्कर्ष रहा है। वादीगण/याचिकाकर्ताओं को विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय में विसंगति के बारे में पता चला, उन्होंने धारा 151, 152 एवं 153 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें कब्जे की वसूली के संबंध में डिक्री पारित करने की प्रार्थना की गई। हालाँकि, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 07.07.2017 के अपने आदेश द्वारा उक्त याचिका को खारिज कर दिया।

03. वादी/याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता को मुख्यतः इस आधार पर खारिज कर दिया कि बेदखली के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं आया है, लेकिन यह इस बात को समझने में विफल रहा कि मुकदमे के दौरान गवाहों ने वादी के बेदखली के बारे में बताया है और विद्वान ट्रायल कोर्ट ने वादी के पक्ष में निष्कर्ष दिया है, जिसकी पुष्टि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने की है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज कर दिया कि वादी के बेदखली के संबंध में वादपत्र में संशोधन की अनुमति दी गई है और उक्त आदेश को प्रतिवादियों द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादियों/उत्तरदाताओं की ओर से उनके अतिरिक्त लिखित बयान में की गई इस स्वीकारोक्ति पर विचार नहीं किया कि प्रतिवादियों का विवादित भूमि पर कब्जा था। लिखित कथन में स्वीकारोक्ति के पश्चात, याचिकाकर्ताओं को विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्य को सिद्ध करने के

लिए किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता नहीं थी। विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के **गोरख गिरि बनाम सुरेन्द्र गिरि** के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया, जिसकी रिपोर्ट **(2004) 2 पीएलजेआर 254** में की गई थी, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के उस आदेश को दरकिनार करते हुए सिविल पुनरीक्षण की अनुमति दी थी, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा संहिता की धारा 151, 152 और 153 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसमें मुकदमे में मांगी गई राहतों को निर्णय और डिक्री में शामिल करने की बात कही गई थी, जिन्हें अपीलीय न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा मुकदमे को खारिज करने के बाद अपील स्वीकार करते समय छोड़ दिया था। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश संधारणीय नहीं है, तथा इसे अपास्त किया जाए तथा विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय को कब्जे की वसूली के संबंध में वाद में किए गए संशोधन के माध्यम से वादी/याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत को शामिल करते हुए निर्णय को संशोधित करने का निर्देश दिया जाए।

04. दूसरी ओर, प्रतिवादी/उत्तरदाता संख्या 1 से 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि दिनांक 07.06.2017 के निर्णय और दिनांक 20.06.2017 की डिक्री के अनुसरण में पारित आदेश के विरुद्ध वादी/याचिकाकर्ताओं को सिविल विविध क्षेत्राधिकार में कोई राहत नहीं दी जा सकती है, विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने धारा 151, 152 और 153 के तहत दायर याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष वादी को विवादित संपत्ति से बेदखल करने को साबित करने वाला कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जो कि शीर्षक मुकदमे का विषय था, और न ही इसके न्यायनिर्णयन के लिए कोई मुद्दा तैयार किया गया था। इसलिए, चुनौती के तहत आदेश न्यायसंगत और उचित है, इसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील

संख्या 395/2017 प्रस्तुत की है, जिसमें शीर्षक अपील संख्या 55/2013/136/2014 में पारित क्रमशः दिनांक 07.06.2017 तथा 20.06.2017 के निर्णय तथा डिक्री को चुनौती दी गई है। द्वितीय अपील न्यायनिर्णयन हेतु लंबित है तथा वादीगण को उक्त द्वितीय अपील में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बनाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि यदि वादीगण को कोई शिकायत है, तो वे द्वितीय अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष को चुनौती दे सकते थे, लेकिन उन्होंने संहिता की धारा 151, 152 तथा 153 के अंतर्गत विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का विकल्प चुना है तथा जहां तक वादीगण द्वारा दावा की गई राहत का संबंध है, ये प्रावधान लागू नहीं होते तथा इनका कोई अनुप्रयोग नहीं होता। विद्वान अधिवक्ता ने **पंजाब राज्य बनाम दर्शन सिंह** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसे **(2004) 1 एससीसी 328** में रिपोर्ट किया गया जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संहिता की धारा 152 के तहत न्यायालय की शक्ति पर चर्चा की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उक्त शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा अपने मंत्रिस्तरीय कार्यों की गलतियों को सुधारने पर विचार करता है और निर्णय, डिक्री या आदेश के बाद प्रभावी न्यायिक आदेश पारित करने पर विचार नहीं करता है और सुधार की मांग की गई चूक जो मामले की योग्यता पर जाती है वह धारा 152 के दायरे से बाहर है। प्रतिवादियों/उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने **एस पेरुमल बनाम वी. बनुप्रिया मद्रास उच्च न्यायालय** के **(सी.आर.पी. (पीडी) संख्या 1001/2015 और एम.पी. संख्या 1/2015) [दिनांक 04.01.2016 को निर्णीत]** के मामले में विचार किया गया, जिसमें **पंजाब राज्य बनाम दर्शन सिंह** (सुप्रा) के मामले में लिए गए निर्णय और **द्वारका दास बनाम मध्य प्रदेश राज्य** के मामले में लिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया गया, जिसकी रिपोर्ट **(1999) 3 एससीसी 500** में दी गई है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि धारा 152 के तहत किए गए सुधार केवल आकस्मिक चूक या गलतियों को सुधारने के लिए हैं, न कि उन सभी चूक और गलतियों को सुधारने के लिए जो न्यायालय द्वारा निर्णय, डिक्री या

आदेश पारित करते समय की गई हो सकती हैं। मामले के गुण-दोष के आधार पर जिस चूक को सुधारने की मांग की गई है, वह धारा 152 के दायरे से बाहर है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में विशुद्ध रूप से कानून का प्रश्न शामिल है और चूंकि वादी ने गलत मंच चुना था और उसके बाद कुछ गलतफहमी के कारण इस न्यायालय के समक्ष आए, इसलिए विवादित आदेश कायम रहने योग्य है और वर्तमान सिविल विविध याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

05. संहिता की धारा 151, 152 और 153 इस प्रकार हैं:-

> *"**151. न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति**- इस संहिता में कोई भी बात न्यायालय की ऐसी अंतर्निहित शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक आदेश दे।*
>
> ***152. निर्णयों, आज्ञप्तियों या आदेशों में संशोधन**- निर्णयों, आज्ञप्तियों या आदेशों में लिपिकीय या अंकगणितीय गलतियाँ या उनमें किसी आकस्मिक चूक या चूक से उत्पन्न त्रुटियाँ न्यायालय द्वारा किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी भी पक्षकार के आवेदन पर ठीक की जा सकती हैं।*
>
> ***153. संशोधन करने की सामान्य शक्ति**- न्यायालय किसी भी समय, और लागतों या अन्यथा ऐसी शर्तों पर जैसा वह ठीक समझे, किसी वाद में किसी कार्यवाही में किसी दोष या त्रुटि को संशोधित कर सकता है; और ऐसी कार्यवाही द्वारा उठाए गए या उस पर निर्भर वास्तविक प्रश्न या मुद्दे को निर्धारित करने के उद्देश्य से सभी आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।"*

संहिता की धारा 151 में प्रावधान है कि न्यायालय के पास ऐसे आदेश पारित करने की अंतर्निहित शक्तियाँ हैं जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को

रोकने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। संहिता की धारा 152 न्यायालय को निर्णयों, डिक्री या आदेशों में लिपिकीय या अंकगणितीय गलतियों या किसी आकस्मिक चूक या चूक से उत्पन्न त्रुटियों को ठीक करने का अधिकार देती है। साथ ही, धारा 153 न्यायालय को किसी मुकदमे में किसी कार्यवाही में किसी दोष या त्रुटि को संशोधित करने की सामान्य शक्ति प्रदान करती है; और ऐसी कार्यवाही द्वारा उठाए गए या उस पर निर्भर वास्तविक प्रश्न या मुद्दे को निर्धारित करने के उद्देश्य से सभी आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

जाहिर है, संहिता की धारा 151, 152 और 153 के तहत निर्वहन की गई शक्तियों का एकमात्र उद्देश्य यह है कि न्यायालय की गलती के कारण किसी भी पक्ष को नुकसान न हो और न्याय या न्याय प्रशासन का उद्देश्य लिपिकीय या अंकगणितीय गलतियों, चूक या ऐसी ही अन्य त्रुटि के कारण विफल न हो।

06. संहिता के आदेश XLI नियम 31 में इस प्रकार लिखा है:-

> *"**31. निर्णय की विषय-वस्तु, तिथि और हस्ताक्षर-** अपीलीय न्यायालय का निर्णय लिखित होगा और उसमें निम्नलिखित बातें बताई जाएंगी-*
>
> *(क) निर्धारण के लिए बिंदु;*
>
> *(ख) उस पर निर्णय;*
>
> *(ग) निर्णय के कारण; और*
>
> *(घ) जहां अपील की गई डिक्री को उलट दिया जाता है या उसमें परिवर्तन किया जाता है, अपीलकर्ता को राहत का हकदार माना जाता है,*
>
> *और इसे सुनाए जाने के समय न्यायाधीश या उसमें सहमति जताने वाले न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाएगा।"*

इस प्रकार, अपीलीय न्यायालय के निर्णय में निर्धारण के लिए बिंदु और उस पर निर्णय बताया जाएगा। संहिता के आदेश XLI नियम 35 में यह प्रावधान है कि डिक्री में अपील की संख्या, अपीलकर्ता और प्रतिवादी के नाम और विवरण तथा दी गई राहत या किए गए अन्य निर्णय का स्पष्ट विवरण शामिल होगा। साथ ही, इसमें यह भी प्रावधान है कि डिक्री में अपील में हुई लागत की राशि भी बताई जाएगी।

07. मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, वादी/याचिकाकर्ताओं के मुकदमे में प्रार्थना केवल मुकदमे की भूमि पर उनके अधिकार, शीर्षक और कब्जे की घोषणा के संबंध में थी, जबकि प्रतिवादियों के विक्रय-पत्र के बारे में घोषणा की मांग की गई थी कि यह जाली, धोखाधड़ीपूर्ण, शून्य और निष्क्रिय है। वादी/याचिकाकर्ताओं के मुकदमे को डिक्री किया गया और विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विद्वान ट्रायल कोर्ट के निर्णय और डिक्री की पुष्टि की। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे की भूमि पर वादी के अधिकार, शीर्षक और स्वामित्व के मुद्दे को तैयार किया। इसी तरह, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष निर्धारण के लिए एक बिंदु यह था कि क्या वादी के पास मुकदमे की भूमि पर अधिकार, शीर्षक और स्वामित्व है। जाहिर है, कब्जे या बेदखली के संबंध में कोई मुद्दा या बिंदु तैयार नहीं किया गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि कब्जे की पुष्टि के संबंध में कोई राहत शुरू में नहीं मांगी गई थी, हालांकि अपीलीय चरण में संशोधन आवेदन के माध्यम से कब्जे की वसूली के संबंध में बाद की राहत जोड़ी गई। जब अपीलीय चरण में न्यायालय के संज्ञान में बाद में राहत लाई गई, तो वादी के बेदखली के बारे में उक्त तथ्य को विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए था और इस मुद्दे पर निर्धारण के लिए बिंदु तैयार किया जाना चाहिए था। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय से, ऐसा प्रतीत होता है कि बेदखली के तथ्य को विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा गया है। हालाँकि, मामले के इस पहलू पर निर्धारण के लिए कोई बिंदु तैयार नहीं किया गया था। इसके अलावा, मामले का एक अन्य पहलू यह है कि वादी के अधिकार, शीर्षक और स्वामित्व

के बारे में समवर्ती निष्कर्ष निकाला गया है और अतिरिक्त लिखित बयान में, प्रतिवादियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुकदमा भूमि उनके कब्जे में है। यदि दोनों न्यायालयों द्वारा वादीगण के अधिकार, स्वामित्व और मुकदमे की भूमि पर स्वामित्व घोषित किया गया है, तो प्रतिवादियों/उत्तरदाताओं के कब्जे में होने के बारे में स्वीकृत स्थिति के प्रकाश में स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए था और निर्णय पारित करते समय और डिक्री जारी करते समय, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय को विवाद के बिंदु पर अपने निष्कर्ष को स्पष्ट शब्दों में दर्ज करना चाहिए था, एक ऐसा कर्तव्य जिसमें विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय विफल रहा। स्पष्ट रूप से, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा एक त्रुटि की गई है।

08. प्रतिवादियों की ओर से दलील दी गई है कि दूसरी अपील लंबित है और यहां उठाए गए सभी मुद्दे दूसरी अपील में उठाए जाने चाहिए। मुझे लगता है कि प्रतिवादियों का तर्क गलत है। जब याचिकाकर्ताओं को बेदखल करने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, तो याचिकाकर्ताओं के पास दूसरी अपील में कोई तर्क नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ताओं को ट्रायल कोर्ट और अपीलीय कोर्ट दोनों में उनके पक्ष में फैसला और डिक्री मिल चुकी है। यदि याचिकाकर्ता विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के किसी निष्कर्ष से व्यथित थे, तो निश्चित रूप से याचिकाकर्ताओं पर ऐसे निष्कर्ष को चुनौती देने का दायित्व था, लेकिन यहां ऐसा नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज न किए जाने से व्यथित हैं और प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं ने संहिता की धारा 151, 152 और 153 के तहत अपनी याचिका दायर की थी, जिसमें विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय से कब्जे की वसूली के संबंध में डिक्री पारित करने की प्रार्थना की गई थी, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय प्रार्थना पर विचार करने के लिए बाध्य था। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय केवल यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता था कि चूंकि इस बिंदु पर कोई साक्ष्य नहीं पेश किया गया, इसलिए कोई आदेश पारित नहीं

किया जा सकता। यदि कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था, तो विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष दो विकल्प थे, क्योंकि वादपत्र में संशोधन पहले ही बेदखली के बिंदु पर किया जा चुका था और अपीलीय स्तर पर वादपत्र में आगे राहत मांगी गई थी, तो विद्वान अपीलीय न्यायालय इस बिंदु पर मुद्दा तैयार कर सकता था और उक्त मुद्दे के संबंध में साक्ष्य पर विचार कर सकता था और उसके बाद उचित आदेश पारित करके मामले का निपटारा कर सकता था। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के पास उपलब्ध एक अन्य विकल्प यह था कि बेदखली के बिंदु पर मुद्दा तैयार करने के बाद मामले को विद्वान ट्रायल कोर्ट को वापस भेज दिया जाए और यदि साक्ष्य अपर्याप्त पाए जाते हैं तो साक्ष्य दर्ज करने का निर्देश दिया जाए और आदेश पारित करने के लिए मामले को विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय को वापस भेज दिया जाए। लेकिन विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने किसी भी विकल्प का प्रयोग नहीं किया और एक अस्पष्ट आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि चूंकि कोई सबूत नहीं दिया गया था या कोई तर्क नहीं दिया गया था, इसलिए वह बेदखली और इसके संबंध में मांगी गई राहत के बिंदु पर कोई आदेश पारित करने की स्थिति में नहीं था।

09. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने सही तर्क दिया है कि धारा 152 के तहत विचाराधीन सुधार आकस्मिक चूक या गलतियों को सुधारने के लिए हैं, न कि उन सभी चूकों और गलतियों को सुधारने के लिए जो न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय की गई हो सकती हैं। यह संहिता की धारा 152 से जुड़ा सामान्य सिद्धांत है, लेकिन जब राहत के लिए प्रार्थना की गई है और विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय उक्त राहत के संबंध में अपना निष्कर्ष दर्ज करने में विफल रहा है, तो ऐसी त्रुटि को संहिता की धारा 152 और यहां तक कि संहिता की धारा 151 के तहत भी सुधारा जा सकता है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के हाथ बंधे नहीं हैं और वह किसी भी अनजाने त्रुटि से उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मामलों पर विचार कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में कोई दम है कि याचिकाकर्ताओं ने

गलत मंच चुना है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी शिकायत के साथ प्रथम अपीलीय न्यायालय का रुख सही किया है। इस कारण से, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **पंजाब राज्य बनाम दर्शन सिंह** (सुप्रा), **एस. पेरुमल** (सुप्रा) और **द्वारका दास** (सुप्रा) में दिए गए निर्णय प्रतिवादियों के पक्ष में सहायक नहीं हैं।

10. दूसरी ओर, मैं **लक्ष्मी राम भुइयां बनाम हरि प्रसाद भुइयां एवं अन्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर सम्मानपूर्वक भरोसा करता हूँ, जिसकी रिपोर्ट **2003(1) एससीसी 197** में दी गई थी, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि यदि न्यायालय के इरादे को प्रकट करने में कोई आकस्मिक चूक या चूक होती है, तो धारा 152 न्यायालय को अपने फैसले को बदलने का अधिकार देती है ताकि उसके अर्थ और इरादे को प्रभावी बनाया जा सके।

11. पूर्व में की गई चर्चा के आलोक में, मेरा यह विचार है कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर दिनांक 05.07.2017 की याचिका को खारिज करके अधिकारिता की त्रुटि की है, इसलिए, शीर्षक अपील संख्या 55/2013/136/2014 में विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, सारण, छपरा द्वारा पारित दिनांक 7 जुलाई, 2017 के विवादित आदेश को इस निर्देश के साथ रद्द किया जाता है कि या तो वह बेदखली के बिंदु पर मुद्दा तैयार करने के बाद मामले को विद्वान ट्रायल कोर्ट को वापस भेजे और यदि ऐसे मुद्दे के निर्धारण के लिए और साक्ष्य की आवश्यकता हो तो साक्ष्य दर्ज करे और विद्वान ट्रायल कोर्ट मामले को निर्णय पारित करने के लिए विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय को वापस भेजे या विद्वान अपीलीय न्यायालय बेदखली के मुद्दे पर मुद्दा तैयार करें और उक्त मुद्दे के संबंध में साक्ष्य पर विचार करें और उसके बाद उचित आदेश पारित करके मामले का निपटारा करें। उपरोक्त कार्य इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने/पेश किए जाने की तिथि से तीन महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

12. उपरोक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान सिविल विविध याचिका स्वीकृत की जाती है।

13. इस न्यायालय ने किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और जो कुछ भी देखा गया है, वह केवल वर्तमान याचिका के निपटारे के उद्देश्य से है और विद्वान परीक्षण न्यायालय इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से पक्षपातपूर्ण नहीं होगा।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

आशीष/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।